डीजी–परिपत्र संख्या–01/2021

एच0सी0 अवस्थी
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
दिनांक : लखनऊः जनवरी 01, 2021

विषयः–घुमक्कड़ अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु आवश्यक दिशा–निदेश।

———

प्रिय महोदय/महोदया,

आप सभी अवगत हैं कि शरद ऋतु में विशेष रूप से सड़कों पर लोगों का आवागमन कम संख्या में होता है। इस मौसम में घुमक्कड़ अपराधी अधिक सक्रिय होकर सनसनीखेज अपराध कारित करते हैं। ऐसी घटनाएँ प्रायः नगरों तथा कस्बों व कभी–कभी ग्रामीण अंचल के बाहरी क्षेत्रों में स्थापित आवासों में घटित होती हैं।

2. आप सहमत होंगे कि इस प्रकार की घटना घटित होने पर जहाँ एक ओर जनमानस में असुरक्षा का भय व्याप्त होता है वहीं दूसरी ओर पुलिस के प्रति आक्रोश उत्पन्न होता है। इसलिए अत्यन्त आवश्यक है कि इस मौसम में गश्त व्यवस्था प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करायी जाये, जिससे जन सामान्य में सुरक्षा की भावना बनी रहे तथा इस प्रकार की घटित होने वाली घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।

3. इस प्रकार के अपराध तथा अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु कतिपय सुझाव अनुवर्ती प्रस्तरों में अनुपालनार्थ सुझाये जा रहे हैंः–

- घुमक्कड़ अपराधियों के ठहरने के ठिकानों के विषय में शीघ्रातिशीघ्र पूरे जनपद में छानबीन करा ली जाये। विशेष रूप से शहर, कस्बों के बाहरी इलाकों, रेलवे लाइन एवं सड़कों के आस–पास लगे अस्थायी टेंटों पर चेकिंग करायी जाये, किन्तु यह भी सुनिश्चित करा लिया जाये कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को अनावश्यक परेशान न किया जाये।
- जनपद के ऐसे क्षेत्र जो इस प्रकार के अपराधों के लिए संवेदनशील/सम्भावित हो सकते हों, प्रमुख बाजारों में विशेष रूप से रात्रि 12.00 बजे प्रातः 04.00 बजे के बीच नियमित गश्त करायी जाये।
- संवेदनशील राजमार्गो पर गश्त हेतु पर्याप्त संख्या में पेट्रोलिंग वाहन लगाये जाये तथा संवेदनशील स्थानों पर सुदृढ़ पुलिस पिकेट लगायी जाये।
- सूनसान स्थानों पर जहाँ लूट एवं राहजनी की सम्भावनाएँ अधिक रहती हैं वहाँ पर गश्त व पिकेट व्यवस्था सुनिश्चित की जा जाये।
- बैंकों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, बाजारों के आस–पास पिकेट की व्यवस्था करायी जाये तथा सायं 06.00 बजे रात्रि 10.00 बजे तक अधिक संख्या में पुलिस कर्मी गश्त करते दिखायी दें।
- सूनसान इलाकों में खड़ें वाहनों की चेकिंग की जाये, जिनका प्रयोग घुमक्कड़ अपराधियों द्वारा घटनाएँ कारित करने में किया जाता है।
- रात्रि गश्त हेतु थानों एवं चौकियों में पर्याप्त संख्या में पुलिस को नियुक्त किया जाये। साथ ही थानों एवं चौकियों पर बेहतर संचार व्यवस्था की जाये।

- यदि किसी जनपद में इस प्रकार की घटना घटित होती है तो उस जनपद के पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक(अपराध) को औपचारिक रूप से त्वरिततम संचार माध्यम से, पड़ोस के सभी जनपदों को वारदात के बारे में सतर्क किया जाना जाना चाहिए ताकि enroute होने वाली किसी अन्य वारदात को रोका जा सके।

4. उपरोक्त दिशा–निर्देश केवल सामान्य मार्ग–दर्शन के लिए हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने जनपदों की आपराधिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर अपराध नियंत्रण की दिशा में अन्य आवश्यक कदम उठाने के लिए स्वतंत्र हैं।

5. आप सभी से अपेक्षा है कि उपरोक्त बिन्दुओं का स्वयं गम्भीरता से अध्ययन कर लें एवं एक कार्यशाला के माध्यम से जनपद में नियुक्त सभी अधिकारी/कर्मचारियों को इस निर्देश के सम्बन्ध में विस्तार से अवगत करा दें तथा इस सम्बन्ध में सतर्क कर दें कि वह अपने दायित्वों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही व उदासीनता न बरतें।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(एच0सी0 अवस्थी)

1. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1.अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/अपराध उ0प्र0।
2.अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ।
3.अपर पुलिस महानिदेशकसमस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।